रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8, 1986 (कार्तिक 17, 1908)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8, 1986 (KARTIKA 17, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	729
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1257
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1697
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल निगम और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2493 1
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	709
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस आदि हैं	2107
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	157
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	729
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1257
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1697
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	24931
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	709
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2107
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	157
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi ..	

*Folio Nos not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1986

सं० 82-प्रेज/86—राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गोविन्द प्रसाद विश्वास,
पुलिस उप निरीक्षक,
खड़गपुर, जिला मिदनापुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

16 फरवरी, 1984 को श्री गोविन्द प्रसाद विश्वास, पुलिस उप निरीक्षक, को सूचना प्राप्त हुई कि डाकुओं का एक गिरोह पंसकुरा क्षेत्र में जेवरात की दुकान में डाका डालने के बाद, राज मार्ग सं० 6, बम्बई सड़क से खड़गपुर की तरफ चले गए हैं। यह एक पुलिस दल के साथ जिसमें एक सहायक उप निरीक्षक, चार कान्सटेबल और एक ड्राइवर था, एक पुलिस जीप में गिरोह का पीछा करने के लिए तत्काल रवाना हुए। रूप नारायण पुल पर पहुंचने पर। पुलिस दल ने खड़गपुर को आने वाले ट्रकों की तलाशी लेनी शुरू की। श्री विश्वास ने पंसकुरा की तरफ से एक ट्रक को तेज गति से आते देखा। उन्होंने ट्रक को रुकने का इशारा किया, जो एक क्षण के लिए धीमा हुआ लेकिन दुबारा तेज रफ्तार से खड़गपुर की तरफ चला गया। ड्राईवर की केबिन और ट्रक के ब्रेक में कई व्यक्तियों को बैठा देखा गया। ट्रक के तथा कथित डाके में अन्तर्ग्रस्त होने के संदेह में, श्री विश्वास ने अपने जवानों के साथ ट्रक का पीछा किया। ट्रक में बैठे व्यक्तियों ने पुलिस जीप पर बम फेंके किन्तु पुलिस दल ने भी गोली का जवाब दिया और पीछा करना जारी रखा। अपराधियों ने पीछा करती हुई जीप के रास्ते में रुकावट पैदा करने के लिए सड़क पर लकड़ी के पटरे फेंके। फिर भी, पुलिस दल ने कसाई नदी के पुल के चौराहे पर ट्रक को रोक लिया। ट्रक के ड्राईवर ने भागने के अलावा कोई और विकल्प न दिखाई देने पर मिदनापुर नगर जाने वाले बाई पास पर आने के लिए तेजी से दाहनी तरफ मोड़ा लेकिन ट्रक उलट गया। पुलिस दल ने तुरन्त अपराधियों को दबोच लिया और उनमें से आठ को पकड़ लिया। डाकुओं से एक पाईपगन, सात सक्रिय बम, चार भोजाली और 28 तोले सोने के आभूषण, 19 किलोग्राम चांदी के आभूषण और 5626 रुपए नकद समेत चुराई गई वस्तुएं बरामद की ।

इस घटना में श्री गोविन्द प्रसाद विश्वास, पुलिस उप-निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. यह पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 16 फरवरी, 1984 से दिया जाएगा।

सं० 83-प्रेज/86—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बनवारी लाल शर्मा,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला : मथुरा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18 मई, 1982 को श्री बनवारी लाल शर्मा, पुलिस उप निरीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि डाकू भरत सिंह, अपने 5 या 6 साथियों के साथ अपने गांव में अपने घर उपस्थित है। श्री शर्मा, उपलब्ध पुलिस बल और कुछ ग्रामीणों के साथ घर पर पहुंचे और डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। लेकिन डाकुओं ने इसके बजाय भारी गोली बारी की। पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिसके परिणामस्वरूप डाकू नजदीक के मकान की ओर पीछे हटने लगा। ग्रामीणों की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ डाकू बचकर भाग गए लेकिन गिरोह के नेता भरत सिंह ने एक कमरे में मोर्चा लगाया। पुलिस दल ने मकान को घेर लिया और श्री बनवारी लाल शर्मा मकान के अन्दर गए और उस कमरे के नजदीक पहुंचे जहां से भरत सिंह अपनी .12 बोर की बन्दूक से गोलियां चला रहा था। एक छर्रा श्री शर्मा के चेहरे पर लगा लेकिन उन्होंने डाकुओं को उलझाए रखा । इसी बीच पुलिस कुमुक पहुंच गयी। डाकू से आत्मसमर्पण करने के लिए दुबारा कहा गया लेकिन वह मकान से बाहर नहीं निकला। पुलिस दल ने डाकू पर गोली चलायी, जो उसको लगी और वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गयी। श्री शर्मा को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल आगरा में ले जाया गया। मृत डाकू के पास से कारतूस से भरी हुई एक एस० बी० बी० एल० 12 बोर बन्दूक (जिस पर 2982 डी/4 संख्या अंकित थी) .12 बोर के 17 सक्रिय कारतूस और 20 खाली कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री बनवारी लाल शर्मा ने पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18 मई, 1982 से दिया जाएगा।

सं० 84-प्रेज/86—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद :

श्री स्वर्ण सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
तरण-तारण, अमृतसर ।
श्री दलबीर सिंह,
कां०, सं०, 1970,
तरण-तारण, अमृतसर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13 अक्तूबर, 1983 को श्री स्वर्ण सिंह, पुलिस उप अधीक्षक को सूचना मिली कि जागीर सिंह के नेतृत्व में कुख्यात उग्रवादियों का एक गिरोह अपने साथियों सहित वेन पुई गांव के तरसेम सिंह निहंग के फार्म हाऊस में शरण लिए हुए हैं। पास के पुलिस थानों से उपलब्ध पुलिस बल को एकत्र करने के बाद, श्री स्वर्ण सिंह उस स्थान की ओर रवाना हुए। 14 अक्तूबर, 1983 की सुबह लगभग 4 बजे पुलिस दल ने उक्त गांव में पहुंच कर "बेहक" फार्म हाऊस को घेर लिया। पुलिस दल के पहुंचने का ज्ञान होते ही उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी। पुलिस दल ने आत्म रक्षा में जवाबी

गोली चलायी। दोनों ओर से लगभग आधे घण्टे तक गोलियां चलती रहीं। उग्रवादी अंधेरे का लाभ उठाकर बचकर भाग गये परन्तु पुलिस दल ने तीन किलोमीटर तक उनका पीछा किया। उग्रवादी मक्का की फसल में छिप गये तथा पुलिस दल पर पुनः गोली चलाना शुरू कर दिया। श्री स्वर्ण सिंह ने दल को चार दलों में विभाजित किया तथा खेत को घेर लिया। वे कान्सटेबल दलबीर सिंह के साथ खेत की ओर आगे बढ़े। उग्रवादियों ने बढ़ते हुए दल पर हथगोलों तथा भारी गोली-बारी से आक्रमण किया। श्री स्वर्ण सिंह ने अपराधियों पर गोली चलायी। कान्सटेबल दलबीर सिंह भी आगे बढ़ते हुए बुरी तरह से घायल हो गये तथा उन्हें सिविल अस्पताल तरण तारन ले जाया गया। उग्रवादियों की गोलीबारी की परवाह न करते हुए श्री स्वर्ण सिंह जवाबी गोली चलाते हुए आगे बढ़े। दोपहर के बाद हथगोलों, एल० एम० जी० तथा अश्रुगैस के गोलों से लैस कुमुक पहुंच गई। लगभग दो घंटे तक लगातार गोलीबारी होती रही। जब गोलीबारी रुकी तो खेत से उग्रवादियों के चार शव मिले। गोलीबारी के दौरान उग्रवादियों ने लगभग 500 राउन्ड तथा सात हथगोलों (जिनमें से एक का विस्फोट नहीं हुआ) का इस्तेमाल किया। उग्रवादियों से एम. 303 राइफल एस 12 बोर की गन, तीन, 303 की पिस्तौल, छः 303 के भरे हुए कारतूस, पच्चहत्तर 303 वाली कारतूस, दो 12 बोर की राइफलें, पचास, 8 मी० मी० के भरे हुए कारतूस तथा पन्द्रह 12 बोर के खाली कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री स्वर्ण सिंह, पुलिस उप अधीक्षक तथा श्री दलबीर सिंह कान्सटेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 अक्तूबर, 1983 से दिया जाएगा।

सं० 85-प्रेज/86—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हाकिम राय,
पुलिस निरीक्षक,
थाना : कोतवाली फिरोजाबाद (दक्षिण),
आगरा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1 नवम्बर, 1984 को भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या के पश्चात फिरोजाबाद में एक विशेष समुदाय के विरुद्ध एक जलूस निकाला गया। भीड़ ने तोड़ फोड़, लूटपाट और उस सम्प्रदाय की दुकानों को नष्ट करना तथा उनमें आग लगाना शुरू कर दिया। उस दिन लगभग 11-30 पूर्वाह्न श्री हाकिम राय, प्रभारी निरीक्षक, थाना : कोतवाली, फिरोजाबाद (दक्षिण) को सूचना प्राप्त हुई, कि ए० के० एस० मार्ग पर पूजा स्थल पर लगभग 500 असामाजिक तत्व लूटपाट कर रहे हैं। वे तत्काल सी० ओ०, एस० डी० एम०, फिरोजाबाद, दो सहायक निरीक्षकों और एक कांस्टेबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उस समय तक उपद्रवियों ने पूजा स्थल को आग लगा दी थी। उस पूजा स्थल में रह रहे लगभग 13 पुरुष और महिलाएं, बच्चों के साथ सुरक्षा के लिए छतों पर गए। अपने जीवन की परवाह न करते हुए श्री हाकिम राय जलते हुए मकान में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए प्रविष्ट हुए। वह मुख्य द्वार को भांति जहां खड़े हो गए और भीड़ को भवन में जाने से रोका। श्री हाकिम राय की वीरता के कारण जलते हुए भवन के सभी 13 फंसे हुए लोगों के जीवन की रक्षा करना संभव हो सका, अन्यथा सभी मारे जाते।

इस घटना में, श्री हाकिम राय, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस एवं उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 नवम्बर, 1984 से दिया जाएगा।

डि० सी० सिंह
राष्ट्रपति का उप सचिव

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1986

संकल्प

विषय :—सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए कार्यकारी दल।

सं० फा० 2(7)/83-अनु० और सम्मे०—भारत के राजपत्र के भाग (1) खण्ड (1) दिनांक 7-12-1985 में पूर्व प्रकाशित संकल्प सं० फा० 2(7)/83-अनु० और सम्मे० दिनांक 21 नवम्बर, 1985 के आंशिक आशोधन में एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए गठित कार्यकारी दल के सदस्य के रूप में डा० अम्मार रिजवी, संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, को श्री हुकम सिंह, संसदीय कार्य, पशुपालन, खाद्य और नागरिक पूर्ति राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, के स्थान पर नामित किया गया है।

ईश्वरी प्रसाद, सचिव

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 सितम्बर 1986

संकल्प

सं० अलकली/9(1)/84—मई 1984 के गजट में अधिसूचित क्षार तथा सम्बद्ध रसायनों की विकास तालिका की अवधि मई, 1986 में समाप्त हो गयी है। भारत सरकार ने अब इस विकास तालिका का 2 वर्ष की अवधि के लिए निम्न प्रकार से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है :—

श्री एन० विश्वास — अध्यक्ष
उप महानिदेशक,
(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

सदस्यगण

1. डा० पी० वी० कृष्ण,
   सलाहकार (रसायन)
   उद्योग मंत्रालय,
   (रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग)
   शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. प्रतिनिधि भारतीय
   क्षार निर्माता समिति,
   बम्बई।
3. श्री वी० रामदुराई,
   कार्यकारी उपाध्यक्ष,
   मैसर्स स्टैण्डर्ड अलकली,
   बम्बई।
4. श्री जे० पी० कपूर,
   मुख्य महाप्रबन्धक,
   मैसर्स श्रीराम फूड एण्ड फर्टीलाइजर,
   दिल्ली।
5. श्री सी० एच० कृष्णामूर्ति राव,
   मेसर्स टी० ई० ए० एम०
   मद्रास।
6. श्री पी० वी० एम० मणियम्
   उपाध्यक्ष (परिचालन)
   मेसर्स टाटा केमिकल्स लि०,
   बम्बई।

7. श्री एस० एन० टण्डन,
उपाध्यक्ष,
मेसर्स बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि०,
नई दिल्ली ।

8. श्री एस० पी० श्रीवास्तव,
कार्यकारी निदेशक,
गुजरात अलकली एण्ड केमिकल्स लि०,
बड़ौदा ।

9. श्री एस० श्रीनिवासन,
मेसर्स ट्रावनकोर केमिकल्स एण्ड
मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०,
तमिलनाडु ।

10. श्री एस० तापुरिया,
मै० बिड़ला कार्बाइड एण्ड गैस, कलकत्ता ।

11. श्री आर० पी० पंडा,
संयुक्त प्रबन्धक (एम०)
आई० पी० आई० सी० ओ० एल०,
भुवनेश्वर ।

12 श्री आर० मुखोपाध्याय,
विकास आयुक्त, (लघु उद्योग) का कार्यालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली ।

13. प्रतिनिधि,
ग्लास निर्माता समिति,

14. डा० एम० के० रैना,
अध्यक्ष,
कागज उद्योग की संयुक्त समिति तथा
उपाध्यक्ष,
मेसर्स बल्लारपुर इण्ड० लि०,
थापर हाउस, 124 जनपथ,
नई दिल्ली—110001

15. श्री के० टी० थामी,
उदे इंडिया लि०, उदे हाउस,
एल० बी० एस० मार्ग,
विक्रोली,
बम्बई—400079

16. श्री निहार नन्दी,
मेसर्स केल्म इंडिया (प्रा०) लि०,
6बी, प्रीटोरिया स्ट्रीट,
कलकत्ता-700001

17. श्री आर० सी० भट्टाचार्य, पदेन-सचिव
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास महानिदेशालय,

(2) पुनर्गठित विकास नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(i) उद्योग की वर्तमान स्थिति, भावी विकास की समीक्षा करना, मांग का अनुमान करना तथा अन्तराल को पूरा करने हेतु सिफारिशें देना,

(ii) प्रौद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन करना तथा इसको अपेक्षित स्तर तक लाने हेतु उपाय सुझाना, आधुनिकीकरण के उपाय सुझाना ।

(ख) विकास के स्तर पर विचार करना तथा डिजाइनों/प्रोसेसों, जैसा भी लागू हो, के बारे में उपाय सुझाना,

(iii) सामग्री तथा ऊर्जा उपयोग के मानदण्डों के बारे में तथा उसमें कमी लाने पर परामर्श देना तथा कुशलता एवं उत्पादकता में सुधार लाने के बारे में सिफारिश करना ।

(iv) उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन के आर्थिक स्तर एवं उपेक्षित स्तर के बारे में सलाह देना ।

(v) निर्यात प्रवर्धन पर सलाह देना ।

(vi) उद्योग तथा क्षेत्रीय विकास के पहलुओं पर सलाह देना जिसमें कच्चे मालों एवं उपयोग के क्षेत्रों की पूर्ति के स्रोत भी शामिल हैं ।

(vii) उद्योग के विकास से संबंधित कोई अन्य पहलू जिसे पैनल उचित समझेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० सी० गंजवाल
निदेशक (प्रशासन)

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

नई दिल्ली—110001, दिनांक 8 अक्तूबर 1986

सं० 1/11/80-समिति—जनसाधारण की सूचना के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार ने श्री आर० आर० गुप्ता, सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को श्री आर० गणपति, जो दिनांक 30-9-1986 से निवृत्त हो गए हैं, के स्थान पर 1-10-1986 से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा, जो दिनांक 25 जनवरी, 1986 से दो वर्षों के लिए पुनर्गठित की गयी है और भारत के राजपत्र के भाग-I, अनुभाग-1 में अधिसूचना संख्या 1/11/80-समिति दिनांक 27-2-1986 द्वारा प्रकाशित की गयी है, का सदस्य (वित्त) मनोनीत किया है । परिणामस्वरूप, श्री गुप्ता वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की सोसायटी, जो दिनांक 13 मई, 1985 से दो वर्षों के लिए पुनर्गठित की गयी थी और भारत के राजपत्र में भाग-I, अनुभाग-1, द्वारा अधिसूचना सं. 1/7/84-समिति दिनांक 20 मई, 1985 में प्रकाशित की गई है, के भी सदस्य होंगे और इस सोसायटी में यह सदस्यता सी० एस० आई० आर० की शासी सभा में उनकी सदस्यता की अवधि तक होगी ।

अशोक प्रसाद मित्र
सचिव,
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग,
व महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
अनुसंधान परिषद

परिवहन मंत्रालय

जल-भूतल परिवहन विभाग

(नौवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1986

संकल्प

फा० सं० एस० डब्ल्यू०/एम० टी० सी०-49/85-एम० टी०)—चूंकि मर्चेंट नेवी प्रशिक्षण समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने भूतपूर्व परिवहन एवं संचार मंत्रालय (परिवहन विभाग) में अपने संकल्प सं० 24-एम० टी० (6)/52 दिनांक 17 अगस्त, 1959 के तहत मर्चेंट नेवी प्रशिक्षण बोर्ड को स्थापित करने का विनिश्चय किया था,

और चूंकि भारत सरकार ने परिवहन मंत्रालय, जल-भूतल परिवहन विभाग में अब मर्चेंट नेवी प्रशिक्षण बोर्ड को समाप्त करने का संकल्प किया किया है,

इसलिए अब भारत सरकार परिवहन मंत्रालय, जल-भूतल परिवहन विभाग में मर्चेंट नेवी प्रशिक्षण बोर्ड का एतद्द्वारा उक्त संकल्प के जारी होने की तारीख से समाप्त करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि राष्ट्रपति के निजी सचिव एवं सैनिक सचिव, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, पोर्ट ट्रस्टों एवं नौवहन महानिदेशक बम्बई को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए प्रस्ताव को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

पी० वी० राव, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्तूबर 1986

संकल्प

सं० ई–11016/5/86–हिंदी—इस विभाग के दिनांक 23–4–1986 के संकल्प सं० ई–11016/5/86–हिंदी के आंशिक संशोधन में श्री हुकमदेव नारायण यादव, भूतपूर्व राज्य सभा सदस्य के स्थान पर डा० बल्लभपुरी जान, राज्य सभा सदस्य को कोयला विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य निर्माण और विविध, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

विजय शंकर दुबे
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 14th October 1986

No. 82-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and rank of the officer

Shri Gobinda Prasad Biswas,
Sub-Inspector of Police,
Kharagpur, District Midnapore (WB).

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 16th February, 1984, Shri Gobinda Prasad Biswas, Sub-Inspector of Police, received information that a dacoit gang, after committing dacoity in Jewellery shops at Panskura area had proceeded towards Kharagpur *via* National Highway No. 6-Bombay Road. He, alongwith a Police party consisting of one Assistant Sub-Inspector, four Constables and one Driver, immediately left in Police Jeep to intercept the gang. On reaching Rupnarayanpur Bridge, the Police party started checking Kharagpur bound trucks. Shri Biswas noticed one truck coming at a high speed from Panskura side. He signalled the truck to stop, which slowed down for a moment but again speed towards Kharagpur. Several persons were noticed sitting in the driver's cabin and deck of the truck. Suspecting involvement of the truck in the said dacoity, Shri Biswas, alongwith his men, started chasing the truck. The occupants of the truck hurled bombs aiming at the Police Jeep. The Police party also returned the fire and continued the chase. The criminals threw some wooden planks on the road to create obstruction to the chasing Police Jeep. However, the Police party intercepted the truck on the crossing of bridge River Kasai. The truck driver, finding no other alternative to escape, took a sharp turn to the right along the by-pass to Midnapore town but the truck capsized. The Police party immediately pounced upon the criminals and apprehended eight of them. One pipegun, seven live bombs, four Bhojalis and stolen property including 28 tolas of gold ornaments, 19 Kgs. of silver ornaments and Rs. 5626/- in cash were recovered from the dacoits.

In this incident, Shri Gobinda Prasad Biswas, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 16th February, 1984.

No. 83-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Banwari Lal Sharma,
Sub-Inspector of Police,
District Mathura.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 18th May, 1982 Shri Banwari Lal Sharma, Sub-Inspector of Police, got information that dacoit Bharat Singh with 5 or 6 of his associates was present in his own village house. Shri Sharma alongwith available force and some villagers reached the house and challenged the dacoits to surrender. The dacoits instead resorted to heavy firing. The Police party also returned fire in self-defence, as a result of which the dacoits started retreating towards a nearby house. Some of the dacoits escaped, taking advantage of the presence of the villagers, but the gang leader Bharat Singh took position in a room. The Police party surrounded the house and Shri Banwari Lal Sharma entered the house and approached near the room from where Bharat Singh was firing from his .12 bore gun. One of the pellet hit Shri Sharma on his face but he kept the dacoit engaged. In the meanwhile Police re-intorcement arrived. The dacoit was again asked to surrender but he did not come out of the house. The Police Party opened fire at the dacoit which hit him and he fell down dead. Shri Sharma was removed to Government Hospital, Agra, for treatment. One SBBL .12 bore gun (bearing No. 2982.D/4) loaded with cartridge, 17 live cartidges of .12 bore and 20 empty cartridges were recovered by the side of the dead dacoit.

In this encounter, Shri Banwari Lal Sharma, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 18th May, 1982.

No. 84-Pres/86.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and rank of the officer

Shri Swaran Singh,
Dy. Supdt. of Police,
Tarn Taran, Amritsar.

Shri Dalbir Singh,
Constable No. 1970,
Tarn Taran, Amritsar.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 13th October, 1983, Shri Swaran Singh, Dy. Supdt. of Police, received information that a known extremist group headed by Jagir Singh alongwith his accomplices, was taking shelter in the farm house of Tarsem Singh Nihang of Village Vain Puin. After collecting available force from nearby Police stations, Shri Swaran Singh rushed to the spot. On reaching the said village in the morning of 14th October, 1983, at about 4.00 A.M. the Police party surrounded the 'BEHAK' Farm house. Knowing the arrival of the Police party the extremists started firing at the Police party. The Police party returned the fire in self-defence. The exchange of fire continued for about half an hour. The extremists taking advantage of the darkness escaped but were chased away by the Police party upto three kilometres. The extremists hid themselves in a maize crop and started firing again on the Police party. Shri Swaran Singh divided the force into four groups and surrounded the field. He, alongwith Constable Dalbir Singh, advanced in the field. The extremists attacked the advancing party with hand grenades and heavy firing. Shri Swaran Singh fired at the culprits. Constable Dalbir Singh who was also advancing was badly wounded and was removed to Civil Hospital, Tarn Taran. Undaunted by firing from extremist's side, Shri Swaran Singh moved ahead exchanging fire. In the afternoon, reinforcement equipped with hand-grenades, LMGs and Tear Gas Shells, arrived. The exchange of fire again continued for about two hours. When the firing was stopped, four dead bodies of the extremists were found in the field. During the exchange of fire the extremists used about 500 rounds and seven hand-grenades (one of which did not explode). One .303 rifle, one .12 bore gun, three .303 pistols, six .303 live cartridges, seventy-five .303 empty cartridges, two .12 bore rifles, fifty .9 mm live cartridges and fifteen .12 bore empty cartridges were recovered from the extremists.

In this encounter Shri Swaran Singh, Dy. Supdt. of Police and Shri Dalbir Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 13th October, 1983.

No. 85-Pres/86.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Padesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Hakim Rai,
Inspector of Police,
Police Station Kotwali Ferozabad (South),
Agra.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 1st November, 1984, following the assessination of the former Prime Minister of India, a procession against a particular community was taken out in Ferozabad. The mob went on rampage, looting, destroying and setting shops and other establishments of that community on fire. At about 11.30 a.m. on that day, Shri Hakim Rai, Inspector Incharge, Police Station Kotwali Ferozabad (South) received information that about 500 anti-social elements were indulging in loot and arson at a place of worship on S. N. Road. He immediately rushed to the spot alongwith CO ADM Ferozabad, two Sub-Inspectors and one Constable. The hooligans, by that time, had set fire to the place of worship. About 13 male and female, alongwith children, who were residing in that place had gone on its roof-top for safety. Without caring for his life, Shri Hakim Rai entered the burning building to rescue the trapped members. He stood like a rock and did not allow the mob to enter the building. But for the bravery of Shri Hakim Rai, the lives of all the 13 persons taking shelter in the burning building would have been lost.

In this incident, Shri Hakim Rai, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1st November, 1984.

K. C. SINGH, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 14th October 1986

RESOLUTION

SUB. *Working Group for examining the implementation of the recommendations of all the All India Whips' Conferences.*

F. No. 2(7)/83-R&C.—In partial modification of the resolution No. F.2(7)/83-R&C dated the 21st November, 1985, published in the Gazette of India, Part I Section (1), dated 7-12-1985, it is hereby notified that Dr. Ammar Rizvi, Minister for Parliamentary Affairs, Government of Uttar Pradesh, has been nominated as a member of the Working Group constituted to go into the implementation of the recommendations of all the All India Whips' Conferences, in place of Shri Hukum Singh, State Minister for Parliamentary Affairs, Animal Husbandry, Food & Civil Supplies, Government of Uttar Pradesh.

ISHWARI PRASAD, Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 18th September 1986

RESOLUTION

No. Alk/9(1)/84.—The term of the Development Panel for Alkali and Allied Chemicals notified in the Gazette Notification dated May, 1984 expired in May, 1986. Government of India have now decided to revive the Development Panel for another period of 2 years with the following reconstitution :—

Chairman

Shri N. Biswas,
Dy. Director General,
(DGTD).

Members

1. Dr. P. V. Krishna,
Adviser (Chemicals),
Ministry of Industry,
(Department of Chemicals and Petrochemicals),
Shastri Bhavan,
New Delhi.
2. A representative from Alkali Manufacturers Association of India, Bombay.
3. Shri V. Ramadurai,
Executive Vice-President,
M/s. Standard Alkali,
Bombay.
4. Shri J. P. Kapur,
Executive Director,
M/s. Shriram Foods & Fertilisers,
Delhi.
5. Shri C. H. Krishnamurthi Rao,
M/s. TEAM,
Madras.
6. Shri P. V. S. Manyam,
Vice-President (Operations),
M/s. Tata Chemicals Ltd.,
Bombay.
7. Shri S. N. Tandon,
Vice-President,
M/s. Ballarpur Industries Ltd.,
New Delhi.
8. Shri S. P. Srivastava,
Executive Director,
Gujarat Alkalies & Chems. Ltd.,
Baroda.

9. Shri S. Srinivasan,
M/s. Travancore Chemicals & Mfg. Co. Ltd.,
Tamil Nadu.

10. Shri S. Tapuriah,
M/s. Birla Carbide & Gases,
Calcutta.

11. Shri R. P. Panda,
Joint Manager (Met.),
IPICOL,
Bhubaneswar.

12. Shri R. Mukhopadhyay,
Office of DC (SSI),
Nirman Bhavan,
New Delhi.

13. A representative from Glass Manufacturers' Association.

14. Dr. M. K. Raina,
Chairman,
Joint Committee for Paper Industry and
Vice-President,
M/s. Ballarpur Ind. Ltd.,
Thapar House,
124, Janpath,
New Delhi-110001.

15. Shri K. T. Thampi,
Uhde India Ltd., Uhde House,
L.B.S. Marg,
Vikhroli,
Bombay-400 078.

16. Shri Nihar Nandi,
M/s. Krebs India (Pvt.) Ltd.,
6B, Pretoria Street,
Calcutta-700 001.

Member-Secretary.

17. Sh. R. C. Bhattacharyya,
Industrial Adviser (DGTD),

(2) The terms of reference of the reconstituted Panel would be as under:—

(i) To review the present status of the industry, perspective for its future growth, estimate the demand and recommend steps to cover the gaps;

(ii) (a) To evaluate the status of technology and suggest measures for upgrading the same to bring it upto the desired level, and to suggest measures for modernisation;

(b) To consider the level of development and suggest measures for development of designs/processes, as applicable;

(iii) To advise on norms of material and energy consumption, steps for reduction in the same and to recommend measures for improvement of efficiency and productivity;

(iv) To advise on the economic and desirable scale of production for different sectors of the industry;

(v) To advise on steps for export generation;

(vi) To advise on pattern of regional development and growth of the industry, taking into account the sources of supply of raw materials and areas of consumption;

(vii) Any other aspect(s) which the Panel deems imporant in the interest of the growth and development of the industry.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL,
Director (Administration)

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-1, the 8th October 1986

No. 1/11/80-CTE.—It is notified for general information that the Government of India have nominated Shri R. R. Gupta, Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, Government of India, as Member (Finance) from 1-10-1986 in place of Shri R. Ganapati, who has superannuated with effect from 30-9-1986, on the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research reconstituted for a period of two years with effect from 25th January, 1986 *vide* Notification No. 1/11/80-CTE 27-2-1986 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India. Consequently, Shri Gupta will also be a Member of the Society (Council of Scientific & Industrial Research) reconstituted for a period of two years with effect from 13th May, 1985 *vide* Notification No. 1/7/84-CTE dated 20th May, 1985 published in Part I, Section 1 of the Gazette of India for the duration of his membership of the Governing Body of CSIR.

A. P. MITRA
Secy.
Department of Scientific and Industrial Research and Director General, Scientific & Industrial Research,

MINISTRY OF TRANSPORT
DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT
(SHIPPING WING)

New Delhi, the 1st August 1986

RESOLUTION

No. SW/MTC-49/85-MT.—Whereas in pursuance of the recommendations made by the Merchant Navy Training Committee, the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) resolved to set up a Merchant Navy Training Board vide its Resolution No. 24-MT(6)/52 dated the 17th August, 1959.

And whereas the Government of India in the Ministry of Transport, Department of Surface Transport, has now resolved to abolish the Merchant Navy Training Board;

Now, therefore, the Government of India, in the Ministry of Transport, Department of Surface Transport hereby abolish the Merchant Navy Training Board on and from the date of issue of this Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, all the Ministries of the Govt. of India, all the State Governments, the Port Trusts and the Director General of Shipping, Bombay.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. V. RAO, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 8th October 1986

RESOLUTION

F. No. E-11016/5/86-Hindi.—In partial modification of this Department's Resolution No. E-11016/5/85-Hindi dated 23-4-1986, Dr. Valampuri John, Member of Parliament (Rajya Sabha) is appointed as Member of the Hindi Salahakar Samiti of the Department of Coal for the rest of its tenure in place of Shri Hukumdev Narayan Yadav, Ex-Member of Parliament (Rajya Sabha).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Committee, State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. S. DUBEY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986